

Order No:- 360L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Dr. Sukanta Majumdar** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **519** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	PRIYANGI CHOUDHURY	PAPAI CHOUDHURY, MOB-9851447186/8116050500	3	BALURGHAT
2	HIMASHREE ROY	BAPI ROY, MOB-8670626061/8167459937	2	BALURGHAT
3	ABHIRAN MAJUMDAR	ARUP MAJUMDAR, MOB-9734861457	1	BALURGHAT
4	MRITSA SARKAR	RATAN SARKAR, MOB-9635829967	2	BALURGHAT
5	DIPANWITA DUTTA	DILIP DUTTA, MOB-9064684126	2	BALURGHAT
6	PAPRI DAS	GAUTAM DAS, MOB-6295494516	1	BALURGHAT
7	ARUSHI CHAKRABARTY	UTPALENDU CHAKRABARTY, MOB-8945881311, 9126417603	1	BALURGHAT
8	DIGANTO KUNDU	DURJOY KUNDU, MOB-7001300895, 9434145008	1	BALURGHAT
9	RIDDHIMAN SAHA	PINKU SAHA, MOB-8927249223, 9932391016	2	BALURGHAT
10	SAMRAT KUMAR DATTA	MRITYUNJOY DATTA, MOB-9091719110	1	BALURGHAT

क. पू. उ.
A. ठाकुर 2

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Dr. Sukanta Majumdar माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **KOLKATA** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)